

यूपी में बुजुर्गों-वधिवार्ताओं की मौज! पेंशन में 500 की बड़ी बढ़ोतरी

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> १. यूपी पेंशन योजना बुजुर्गों, वधिवार्ताओं और दर्वियांगों की पेंशन में 500 की बढ़ोत...
- >> पेंशन वर्द्धि के मुख्य बर्द्धि और नया ढांचा ...
- >> २. वर्द्धावस्था पेंशन अब हर महीने मल्लिगे 1500, आयु प्रमाण पत्र के लिए बदले नयि...
- >> उमर के सत्यापन (Age Verification) के बदले नयिम ...
- >> वर्द्धावस्था पेंशन की प्रमुख शर्तें ...
- >> ३. वधिवार्ता पेंशन योजना बढी हुई मासकि सहायता के साथ मल्लिगा मुफ्त आवास और फ्री इला...
- >> अतरिकित कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण (Convergence Policy) ...
- >> ४. दर्वियांग एवं कुष्ठवस्था पेंशन आर्थिक मदद के साथ रोडवेज बसों में मुफ्त सफर क...
- >> दर्वियांग एवं कुष्ठ पेंशन का ववरण ...
- >> अतरिकित सरकारी लाभ और सुवर्धिएं ...
- >> ५. ट्रपिल तलाक पीड़िता और एसडि अटैक सर्वाइवर्स पेंशन के अलावा फ्री मकान और 5 ला...
- >> वशीष सहायता पैकेज और नीतयिं ...
- >> ६. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कसिनो के परवारों के लिए संकट के सम...
- >> कनि परस्थितयिं में मल्लिती है सहायता?...
- >> ७. इन 8 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा कनिहें मल्लिगा? जानिए जरूरी पात्रता और आय स...
- >> आय सीमा और पात्रता संबंधी तुलनात्मक ववरण ...
- >> ८. आवेदन प्रक्रया और हेलपलाइन पेंशन और आवास का लाभ उठाने के लिए कैसे करें संप...
- >> आवेदन के सरल चरण (Online Application Steps) ...
- >> नषिकर्ष...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। समाज के सबसे वंचित तबकों जैसे बुजुर्गों, वधिवार्ता महिलाओं, दर्वियांगों, कुष्ठ रोगयिं, एसडि अटैक सर्वाइवर्स और तीन तलाक पीड़िताओं के लिए पेंशन राशयिं सीधे 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस ऐतहासकि कदम के बाद अब राज्य की 8 बड़ी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मल्लिने वाली वत्तीय सहायता और अधिक मजबूत हो गई है।

इस फैसले से न केवल लाभार्थयिं की मासकि आय में सुधार होगा, बल्क उन्हें सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे मुफ्त आवास और स्वास्थ्य बीमा का सीधा लाभ भी दयिा जाएगा। आइए जानते हैं यूपी सरकार की इन योजनाओं के नए नयिम, संशोधित पेंशन राशयिं, जरूरी पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रया के बारे में वस्तितार से।

१. यूपी पेंशन योजना: बुजुर्गों, वधियाओं और दवियांगों की पें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा नरिणय लया है। सरकार ने बुजुर्गों, नरिश्रति महिलाओं (वधियाओं) और दवियांगजनों को मलने वाली मासकि वत्तीय सहायता को बढ़ा दया है। इस बदलाव के तहत पहले मलने वाली 1000 रुपये प्रतमाह की पेंशन को बढ़ाकर अब सीधे 1500 रुपये प्रतमाह कर दया गया है।

पेंशन वृद्धि के मुख्य बढि और नया ढांचा:

- >> संशोधति पेंशन राशःसभी प्रमुख श्रेणियों में हर महीने मलने वाली राशःमें 500 रुपये की सीधी वृद्धि की गई है।
- >> त्रैमासकि भुगतान प्रणाली:सरकार अब हर तीन महीने (Quarterly) के अंतराल पर लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) 4500 रुपये की कसित ट्रांसफर करेगी।
- >> पेंशन के साथ अतरिकित लाभ:आर्थकि सहायता के साथ-साथ लाभार्थियों को यूपी रोडवेज बसों में मुफ्त सफर और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास जैसी बड़ी योजनाओं के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है।

२. वृद्धावस्था पेंशन: अब हर महीने मलेंगे 1500, आयु प्रमाण

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना (UP Old Age Pension Scheme 2026) के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को आर्थकि रूप से आत्मनरिभर बनाने का प्रयास कया जा रहा है। सरकार ने मासकि पेंशन राशःको बढ़ाकर 1500 रुपये कर दया है, जसिके चलते अब हर बुजुर्ग लाभार्थी को सालाना कुल 18,000 रुपये की आर्थकि सहायता मलेंगी।

उम्र के सत्यापन (Age Verification) के बदले नयिम:

हाल ही में जारी नए सरकारी शासनादेश के अनुसार, अब आवेदन के दौरान जन्म तथिया आयु प्रमाण पत्र के रूप में भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण द्वारा जारी डजिटिल पहचान पत्र (जसिमें संवेदनशील जनसांख्यिकीय डेटा शामिल होता है) को वैध नहीं माना जाएगा। बुजुर्गों को अपनी आयु साबति करने के लिए नीचे दए गए दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:

- >> हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) की मार्कशीट या सर्टफिकेट।
- >> संबंधति ब्लॉक या ग्राम पंचायत द्वारा जारी कया गया परिवार रजस्टर की नकल (Family Register Copy)।
- >> शहरी क्षेत्रों के बुजुर्गों के लिए (यदपरिवार रजस्टर उपलब्ध न हो): मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card), राशन कार्ड,

इराइवगि लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट की स्व-सत्यापति (Self-Attested) फोटोकॉपी के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेेशन (स्व-घोषणा पत्र)।

वृद्धावस्था पेंशन की प्रमुख शर्तें:

आवेदनकर्ता किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी न हो और उसके परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. वधिया पेंशन योजना: बढ़ी हुई मासिक सहायता के साथ मल्लिगा मु

पतकी मृत्यु के बाद नरिश्रति जीवन जी रही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश वधिया पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत भी वित्तीय सहायता को बढ़ाकर अब 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी एकीकृत कर दिया है।

अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण (Convergence Policy):

वधिया महिलाओं को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना की सभी पात्र लाभार्थियों को नमिनलखित योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा:

>> मुफ्त आवास योजना: पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) और मुख्यमंत्री आवास योजना (CM Awas Yojana) के तहत पक्का मकान दिया जाएगा। ध्यान रहे कि हाल ही में पीएम आवास योजना की वेरिफिकेशन में आ रही दक्कतलाभार्थियों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए अपने दस्तावेजों को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है।

4. दवियांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन: आर्थिक मदद के साथ रोडवेज

शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नागरिकों और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के सम्मानजनक जीवन यापन के लिए दवियांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत दो अलग-अलग श्रेणियों में सहायता राशनिरिधारति की गई है।

दवियांग एवं कुष्ठ पेंशन का वविरण:

>> दवियांग पेंशन (40% या अधिक दवियांगता):18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे नागरिक जो न्यूनतम 40 प्रतिशत दवियांग हैं, उन्हें अब हर महीने 1000 रुपये की मदद दी जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लगभग 11 लाख दवियांगों को इस योजना का लाभ मलि रहा है।

>> कुष्ठावस्था पेंशन:कुष्ठ रोग (Leprosy) के कारण दवियांगता का शकिर हुए व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 3000 रुपये की वशिष वत्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। वर्तमान में राज्य के 13 हजार से अधिक लोग इस श्रेणी में लाभ पा रहे हैं।

अतरिकित सरकारी लाभ और सुवधिएं:

इस योजना में पंजीकृत सभी दवियांगजनों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परविहन नगिम (UPSRTC) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुवधि दी जाती है। इसके अलावा, उन्हें कृत्रमि अंग, ट्राइसाइकलि और अन्य सहायक उपकरण समाज कल्याण वभिाग द्वारा नःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। दवियांग वदियार्थियों के लिए वशिष छात्रवृत्ति (Special Scholarship) का भी प्रावधान है।

५. ट्रपिल तलाक पीड़ति और एसडि अटैक सर्वाइवर्स: पेंशन के अला

उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज की अत्यंत पीड़ति और संवेदनशील महिलाओं के पुनर्वास के लिए एक वशिष योजना लागू की है। इसके तहत तीन तलाक (Triple Talaq) से प्रभावति मुस्लिम महिलाओं और एसडि अटैक सर्वाइवर्स (Acid Attack Survivors) को मुख्यधारा में लाने के लिए वशिष वत्तीय और ढांचागत मदद दी जा रही है।

वशिष सहायता पैकेज और नीतियां:

>> तीन तलाक पीड़ति पेंशन:तीन तलाक से पीड़ति महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये यानी सालाना कुल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है।

>> एसडि अटैक सर्वाइवर्स के लिए प्रावधान:तेजाब हमले की शकिर महिलाओं को उनकी शारीरिक क्षति के आधार पर दवियांगता श्रेणी में वर्गीकृत कर 1000 रुपये प्रतिमाह की दवियांग पेंशन का लाभ दया जाता है।

>> आवास और चकितिसा सुरक्षा:सीएम योगी आदतियनाथ के नवीनतम आदेश के तहत इन पीड़ति महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

६. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: किसानों के परिवार

खेती-किसानी के दौरान होने वाले हादसों या प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों के परिवारों को भुखमरी और कंगाली से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना संचालित कर रही है। यह योजना राज्य के अनुनदाताओं के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।

कनि परस्थितियों में मिलती है सहायता?

कृषक कार्य के दौरान बजिली गरिने (Lightening Strike), बजिली का करंट लगने, खेत में आग लगने, सांप के काटने या जंगली जानवरों के हमले और सड़क दुर्घटना जैसी अनहोनी में किसान की मृत्यु होने या गंभीर रूप से दवियांग होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, यदि किसान अपनी बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करना चाहते हैं, तो वे केंद्र सरकार की PM किसान मानधन योजना: हर महीने 3000 पेंशनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर PM Kisan योजना: बिना 1 पैसा खर्च किए हर महीने 3000 पेंशनप्राप्त करने की योजना का हिस्सा बन सकते हैं।

७. इन 8 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा कन्हें मिलेगा? जानिए ज

उत्तर प्रदेश में पेंशन योजनाओं का पारदर्शी लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पात्रता के कड़े मापदंड और वार्षिक पारिवारिक आय सीमा तय की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक हकदार और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे।

आय सीमा और पात्रता संबंधी तुलनात्मक विवरण:

८. आवेदन प्रक्रिया और हेल्पलाइन: पेंशन और आवास का लाभ उठाने

उत्तर प्रदेश सरकार की इन सभी पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC - Common Service Centre) या सीधे आधिकारिक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन के सरल चरण (Online Application Steps):

>> आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:सबसे पहले यूपी पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) पर लॉग ऑन करें।

>> योजना का चयन करें:अपनी श्रेणी के अनुसार ओल्ड एज, वडि या दवियांग पेंशन वकिल्प का चयन करें।

>> दस्तावेज अपलोड करें:अपनी रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (PDF प्रारूप में) अपलोड करें।

>> सत्यापन और ट्रैकिंग:आवेदन जमा करने के बाद मलि रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने आवेदन की स्थिति (Status Check) को ऑनलाइन ट्रैक करते रहें।

किसी भी तकनीकी समस्या या अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी समाज कल्याण विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-419-0001 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विकास भवन या ब्लॉक स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है।

नष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा वृद्धों, वधवाओं, दवियांगों और पीड़ित महिलाओं के लिए पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी करना सामाजिक समरसता की दशा में एक सराहनीय कदम है। इस नर्णय से राज्य के लाखों परिवारों को सीधे वित्तीय राहत मल्लगी। इसके साथ ही इन योजनाओं को मुफ्त पक्के मकान और 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने का कदम लाभार्थियों के जीवन स्तर में आमूलचूल बदलाव लाएगा। यदा आप या आपके परिवार में कोई इस पात्रता के दायरे में आता है, तो आज ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें और इन सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर अब 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

नहीं, नए शासनादेश के अनुसार अब आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड स्वीकार्य नहीं होगा। इसके स्थान पर हाईस्कूल की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल दखानी होगी।

शहरी क्षेत्र के बुजुर्ग वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइवगि लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) जमा कर सकते हैं।

वधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हाँ, नरिश्रति वधवा महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त पक्का मकान देने की

घोषणा की गई है।

दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी न्यूनतम 40% या उससे अधिक का वकिलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

कुष्ठ रोग (Leprosy) से प्रभावित दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह 3000 रुपये की विशेष पेंशन दी जाती है।

हाँ, इस योजना में पंजीकृत दिव्यांग लाभार्थियों को यूपी रोडवेज (UPSRTC) की बसों में बिल्कुल मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है।

तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये की दर से सालाना कुल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

एसडि अटैक सर्वाइवर्स को आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और मुफ्त मकान की सुविधा दी जाती है।

खेती के दौरान दुर्घटना, सर्पदंश या प्राकृतिक आपदा में किसान की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सरकारी मदद दी जाती है।

यूपी समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं की जानकारी या शिकायत के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1800-419-0001 पर संपर्क कर सकते हैं।